रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 224] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 9, 1993/कार्तिक 18, 1915
No. 224] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 9, 1993/KARTIKA 18, 1915

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना संख्या 174(पी एन)/92—97

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 1993

विषय : विदेशी सहायता से वित्त पोषित आयातों के संबंध में सीधे भुगतान/वायदा प्रक्रिया पत्र के तहत भारतीय आयातकों से रुपया जमा धनराशि की अधिप्राप्ति के लिए अपनाई जाने वाली मिश्रित विनियम दरों का संशोधन।

फा०सं० आईपीसी/23/37/85-88/1128 :—उपर्युक्त विषय पर वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 113-आई टी सी (पी एन)/88-91 दिनांक 6-4-1989, 14-आई टी सी (पी एन)/92-97 दिनांक 15-6-1992 और 80-आई टी सी (पी एन)/92-97 दिनांक 25-11-1992 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। 1 मार्च, 1993 से लागू 1993-94 के बजट में संशोधित उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध पद्धति के शुरु हो जाने के

फलस्वरूप यह निर्णय किया गया है कि आयातकों से वसूल किए जाने वाले सीधे भुगतान विदेशी सहायता वायदा प्रक्रिया पत्र के दायरे में आने वाले आयातों की लागत के संबंध में रुपये की जमा राशि की गणना अब से निम्नानुसार की जाएगी :—

(1) आयातक विदेशी सहायता से संभरकों को भुगतान वाले संव्यवहार की तारीख से अपने बैंकरों द्वारा अधिसूचित विनिमय की बी०सी० बिक्री दरें अपना सकते हैं।

(2) ऊपर (1) में निर्दिष्ट विनिमय की बी०सी० बिक्री दरों में 1% की अतिरिक्त राशि जोड़ी जाए तथा इस प्रकार प्राप्त हुई रुपये की राशि को निकटतम एक रुपये में पूरा करके विदेशी सभरकों को भुगतान की तारीख और रुपया जमा करने की तारीख (दोनों दिनों सहित) के बीच की व्यवधान अवधि के लिए निर्धारित प्रतिशत पर ब्याज के साथ सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक के खाते में जमा किया जाए।

(3) आयातक विदेशी मुद्रा में अपने प्राधिकृत डीलर द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र भेजेंगे जिसके साथ ट्रेजरी चालान की एक प्रति भी संलग्न हो। इसमें सहायता लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, पांचवा तल, बी विंग, जनपथ भवन, नई दिल्ली-1 को विदेशी सहायता से संभरकों के लिए भुगतान वाले संव्यवहार की तारीख से सबद्ध प्राधिकृत डीलरों की विनियम की बी०सी० बिक्री दर का उल्लेख किया गया हो।

(4) सभी आयातकों को रुपये के निक्षेप की गणना की प्रक्रिया के उपर्युक्त परिवर्तन को सावधानी पूर्वक नोट कर लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार उन्होंने अपने बैंकों के माध्यम से आवश्यक रुपये के निक्षेप कर दिए हैं।

(5) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत डीलरों को भी संशोधित व्यवस्था के बारे में उनके मार्ग दर्शन के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

(6) यह आदेश 1 मार्च, 1993 से प्रभावी होंगे और 1-3-93 को या इसके बाद विदेशी सहायता से संभरकों को किए गए भुगतान से सम्बन्धित लेन-देन तदनुसार नियमित होंगे।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

डा० पी०एल० संजीव रेड्डी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 174(PN)/92—97

New Delhi, the 9th November, 1993

Subject : Revision of Composite Rates of Exchange to be adopted for the recovery of Rupee deposits from Indian Importers under Direct Payment/Letter of Commitment Procedure in respect of imports financed out of External Assistance.

F. No. IPC/23/37/85—88/1128.—Attention is invited to the Ministry of Commerce Public Notice Nos. 113-ITC(PN)/88—91 dated 6-4-1989, 14-ITC(PN)/92—97 dated 15-6-1992 and 80-ITC(PN)/92—97 dated 25-11-1992 on the above subject Consequent upon the introduction of the modified Liberalised Exchange Rates Management System in the Budget for 1993-94 effective from 1st March, 1993, it has been decided that henceforth rupee deposits in respect of the cost of imports covered by Direct Payment/Letter of Commitment Procedures of External Assistance to be recovered from importers will be calculated as follows :

(i) The importers may adopt the B. C. selling rates of exchange notified by their bankers related to the date of transactions involving payments to suppliers out of External Assistance.

(ii) A margin of 1 per cent may be added to the B. C. selling rates of exchange referred to at (i) above and the rupee amount thus arrived at rounded off to the nearest one Rupee may be deposited to the account of Controller of Aid Accounts and Audit together with interest at prescribed percentages for the period intervening between the date of payment to foreign suppliers and the date of rupee deposit (both days inclusive).

(iii) The importers should forward one copy of Treasury Challan together with the certificate issued by his authorised dealer in foreign exchange indicating the authorised dealer's B. C. selling rate of exchange relevant to the transaction date involving payment to suppliers out of External Assistance to the Controller of Aid Accounts & Audit, Deptt. of Economic Affairs, 5th Floor, 'B' Wing, Janpath Bhavan, New Delhi-1.

(iv) All the importers should note the above change in the method of calculation of Rupee deposits carefully and ensure that the necessary Rupee deposits are made by them through their Banks in the above manner.

(v) The Authorised Dealers in Foreign Exchange are also being advised separately by RBI about the revised arrangement for their guidance.

(vi) These orders take effect from 1st March, 1993 and the transactions relating to payments made to suppliers out of External Assistance on or after 1-3-1993 will be regulated accordingly.

This issues in public interest.

DR. P. L. SANJEEV REDDY, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993